(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1346–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–5–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना म0प्र0 प्रकरण कमांक 152/2016–17/अपील.

1. श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी स्व0 श्री नाथ गुप्ता
2. दीपक गुप्ता
3. प्रदीप गुप्ता
4. संजय गुप्ता
5. पवन गुप्ता
6. आकाश गुप्ता समस्त पुत्रगण स्व0 श्री नाथ गुप्ता
   निवासीगण–साराफा बजार मुरैना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुनील उपाध्याय पुत्र श्री देवराम उपाध्याय
   निवासी रामनगर मुरैना म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल म0प्र0
3. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं
   नगरीय कल्याण विभाग भोपाल म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक आवेदकगण
श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्रीमती रजनी वशिष्ठ, पैनल अभिभाषक, अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/9/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 03–5–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका सरोज गुप्ता ने ग्राम बडोखर परगना मुरैना की भूमि सर्वे कमांक 648 रकवा 0.006 हे0 के अंशभाग रकवा 5904.25 वर्गफीट भूमि के डायवर्सन एवं नजूल अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी नजूल मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 158/2013–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 14–5–2014 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। इसके पश्चात आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सर्वे कमांक 648 के स्थान पर सर्वे कमांक 668 त्रुटि सुधार हेतु आवेदन दिया जो अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–7–2016 के द्वारा दिनांक 14–5–14 में संशोधन किया। अनावेदक सुनील उपाध्याय ने मान0 उच्च न्यायालय में पीआईएल कमांक 6687/2016 में याचिका लगाई जिसमें आदेश दिनांक 03–10–16 को इस निर्देश के साथ निराकृत हुई कि 10 दिन के अन्दर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करें जिसका दो में माह में कलेक्टर निराकरण करें तब तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये। मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03–10–16 के निर्देश में कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 03/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 20–12–2016 के द्वारा अपील आंशिक रूप से रूप की गई।

कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने मान0 उच्च न्यायालय में एक पीआईएल 414/2017 प्रस्तुत की जिसमें मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23–1–2017 के द्वारा एक सप्ताह में आयुक्त को निराकरण करने के तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये। मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अपर आयुक्त ने कार्यवाही करते हुये प्रकरण कमांक 152/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 03–5–17 से कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 648 रकबा 2.006 है0, 668 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा एवं 591 स्थित ग्राम बड़ोखर तहसील व जिला मुरैना में स्थित मिसिल बंदोबस्त संवत् 1996 से आबादी दर्ज है, जिसमें वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 668 भी शामिल है जो भूतपूर्व ग्वालियर रियासत/स्टेट के समय से अर्थात् सन् 1947 से आवेदकगण के पूर्वजों के समय से आधिपत्य में आवासीय मकान के रूप में चली आ रही है। नगर पालिका मुरैना में विवादित भूमि आवेदकगणों के पूर्वजों एवं वर्तमान में आवेदकगणों के स्वत्व में दर्ज है। सन् 1954 अर्थात् मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व से संपत्तिकर की रसीदें प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण की समस्त संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति, जिसमें विवादित संपत्ति भी शामिल थी, के बंटवारे का विवाद होने पर आवेदकगण के परिवार के बाबा प्रभूदयाल द्वारा एक व्यवहार वाद क्रमांक 13/1949 जिला न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत किया गया था। उक्त व्यवहार वाद में अभिभाषक श्री एम0एन0 पेन्डाकर को रिसीवर नियुक्त कर समस्त संपत्ति का कब्जा दिया गया था। बंटवारा हेतु प्रारंभिक डिक्री दिनांक 02–11–1960 को पारित की गई तत्पश्चात उक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करने हेतु अभिभाषक श्री आर0डी0 जैन साह को आरबीट्रेरी नियुक्त किया गया था एवं आरबीट्रेरी द्वारा पारित अवार्ड के माध्यम से पंचम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा उक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 28–07–1989 को पारित की गई, जिसके माध्यम वादग्रस्त संपत्ति सुगनचंद, राधेश्याम किरायेदार आबाद थे, जो आवेदकगण के पूर्वज श्रीनाथ के हिस्से में आई। आवेदकगण के पूर्व स्व0 श्री गिरवलाल प्यारेलाल का नाम वादग्रस्त संपत्ति पर जमींदारीकाल से ही नगरपालिका में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा है एवं वर्तमान में आवेदकगण के पास गृहकर रसीदें संवत् 2010 वर्ष 1954 से मौजूद है वर्ष 1990 में उक्त संपत्ति पर आवेदकगण के पिता श्री श्रीनाथ का नाम बहैसियत भूमिस्वामी इन्द्राज किया गया। उन्होंने अपने यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा उपर्युक्त भूमि

सर्वे क्रमांक 668 पर निर्मित अपने आवासीय मकानों को वाणिज्यक प्रयोजनों में व्यपविर्तित कर नवीन निर्माण करने के लिये अनुविभागीय अधिध्कारी, मुरैना के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन में त्रुटिवश सर्वे क्रमांक 668 के स्थान पर 648 रकबा 5904.25 वर्गमीटर अंकित हो गया था। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक नजूल प्रतिवेदन दिनांक 10.05.2014 अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन दिनांक 13.05.2014 तथा सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.1989 द्वारा वादित भूमि शासकीय भूमि न होना एवं आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पाते हुये प्रकरण क्रमांक 158/2013–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 द्वारा सर्वे क्रमांक 648 रकबा 5904.25 वर्गफुट पढ़ा जाने का त्रुटि सुधार आदेश पारित किया। आवेदकगण अपने आवासीय मकानात का वाणिज्यक प्रयोग करना चाहते है इस कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 172(1) के अधीन भूमि व्यपवर्तन/डायवर्सन के लिए आवेदन किया था। चूंकि भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 314/2013–14/अ–2 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2014 द्वारा प्रकरण इस आधार पर समाप्त किया कि कृषि भूमि के सिवाय अन्य प्रयोजनों के लिए व्यवपर्तन किया जा सकता है आबादी भूमि का व्यपवर्तन नहीं किया जा सकता। लिखित तर्क में यह भी आधार लिया कि अनावेदक कमांक 1 जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं था, उसका वादित भूमि में कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं है उसे अपील का अधिकार भी नहीं है फिर भी उसने अनुविभागीय अधिकरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–14 एवं 30–6–2014 के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रथम अपील की गई। कलेक्टर ने पकरण कमांक 03/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 20–12–2016 द्वारा अपील खारिज की गयी। अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 20–12–2016 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 152/2016–17/अपील प्रस्तुत की गयी जो कि अपर आयुक्त द्वारा अपील की ग्राहित, अनावेदक कमांक 1 को अपील की

अधिकारिता के विषय में विचार किये बिना संहिता की धारा 52 के आज्ञापक उपबंधों के प्रतिकूल आगामी आदेश पर्यंत तक स्थगन आदेश दिनांक 07–3–2017 पारित किया गया था। यह भी आधार लिया कि भू–राजस्व संहिता में कहीं भी नजूल अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है परन्तु नजूल विभाग से इस बात की पुष्टि करने हेतु कि उक्त संपत्ति शासकीय नहीं है इसलिए नजूल अनापत्ति प्राप्त की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी भी रूप में पुनर्विलोकन हीं किया गया बल्कि टायपिंग त्रुटि का सुधार किया है क्योंकिभूमि सर्वे कमांक 668 आबादी भूमि होकर आवेदकगण के कब्जे में है। कलेक्टर के प्रतिवेदन से ही स्पष्ट है कि विवादित भूमि आबादी में स्थित होकर मकानात की भूमि है जो आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की है अर्थात शासकीय भूमि नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा गृहस्थल संबंधी कानून को समझने में भूल की है एवं कतई ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वादग्रस्त संपत्ति नगरीय आबादी में स्थित है एवं नगरीय क्षेत्र की आबादी को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 2 (य–4) सहपठित धारा 2(क) में परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है:–

धारा 2 (य–4) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेस है वह क्षेत्र जो नगरपालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवत किसी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम की या किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए, सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है और अभिव्यक्ति "नगरेत्तर क्षेत्र" का तद्नुसार अर्थ लगाये जायेगा।

धारा 2(क) " आबादी" अभिप्रेत है नगरेत्तर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिये या उससे अनुवंशिक प्रयोजनों के लिये समय–समय पर आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य स्थानिक पर्याय, जैसे "ग्राम स्थाल" या गांव स्थान का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा।

आबादी क्षेत्र नगरपालिका के अधीन रहता है जिसका इन्द्राज एवं रिकार्ड नगरपालिका द्वारा रखा जाता है एवं नजूल आबादी भी कहा जाता है।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 246 में गृह स्थल संबंधित प्रावधान निम्न है–

धारा 246 आबादी – आबादी में गृहस्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार – धारा 244 के उपबंध के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय आबादी में गृहस्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है या जो इसके पश्चात ऐसी भूमि को विधिपूर्वक अर्जित कर ले, ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी होगा। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि की अनापत्ति प्रदान की गई तथा बाद में उक्त भूमि का डायवर्सन भी कर दिया गया। अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख एवं विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार दिया कि ग्राम बड़ोखर परगना मुरैना, जिला–मुरैना की आराजी भूमि सर्वे क्रमांक 648, 668, 591 तीनों सर्वे नम्बरों की समस्त भूमि शासकीय आबादी नजूल मिल्कियत सरकार के रूप में कागजात पटवारी खसरा खतौनी आदि में दर्ज है। अर्थात तीनों सर्वे नम्बरों की भूमि सर्वे क्र0 648, रकबा 2.006 है0 के अंश भाग रकबा 5904.25 वर्गफीट भूमि पर आवेदकगण द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल मुरैना के यहां नजूल अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये अपना आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल द्वारा प्र0क्र0 158/13–14/बी–121 पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 14.05.2014 को नजूल आबादी मिल्कियत सरकार जो सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दर्ज होते हुये भी आवेदकगण को नजूल अनापत्ति प्रमाण–पत्र गलत रूप से दे दिया। उसके बाद कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मुरैना द्वारा अपने

अधिकारों का दुरूपयोग कर आवेदकगण ने संशोधन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर से अनुविभागीय अधिकार नजूल मुरैना द्वारा ना तो रिव्यु की अनुमति ली और ना ही अपने आदेश को परिवर्तित करने के लिये अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लिये बिना ही मनमाने तरीके से दो वर्ष के बाद दिनांक 21.07.2016 को अपने आदेश नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशोधन कर 648 के स्थान पर 668 पढ़ा जावे और संशोधन कर दिया। जबकि आवेदकगण द्वारा द्वारा अपने मूल आवेदन जो नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया था, उसमें उनके द्वारा सर्वे क्र0 648 अंकित किया था। अनावेदक सुनील उपाध्याय द्वारा उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन पी0आई0एल0 प्रस्तुत की। जो कमांक 6687/16 पर दर्ज होकर दिनांक 03–10–16 को इस आधार पर निराकृत हुयी कि अपीलांट 10 दिन के भीतर कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर मुरैना द्वारा प्र0क्र0 3/16–17/अपील पर दर्ज कर दिनांक 20–12–16 को नजूल अनापत्ति के संबंध में की गई आपत्ति को निरस्त कर दिया और अनुविभागीय अधिकारी मुरैना को प्र0क्र0 314/2013–14/अ–2 से संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत 5904.25 वर्गफीट पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपर्वतन की मांग की गई थी। जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी संहिता की धारा 172(4)(5)(6) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये आदेशित किया। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 4 क्रमांक 1 की कण्डिका 18 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को और कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त को और आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं उसके वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात कलेक्टर मुरैना एवं आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी करने की या न्यायालय राजस्व मण्डल को निगरानी सुनने की कोई भी अधिकारिता नहीं है। राजस्व पुस्तक परिपत्र में खण्ड 4 क्रमांक 1 कण्डिका 18 में केवल

अभ्यावेदन का प्रावधान दिया गया है। तब ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं हो सकती है और ना ही न्यायालय राजस्व मण्डल को ऐसे प्रकरण की सुनने की कोई भी अधिकारिता न होने से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण की समस्त संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति के संबंध में उनके परिवारजनों के बीच बंटवारे का विवाद होने पर उनके बाबा प्रभूदयाल द्वारा एक व्यवहार वाद क्र0 13/1949 जिला न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत किया था। जिस बंटवारे के प्रकरण में ग्राम बडोखर के सर्वे क्र0 648, 668, 591 के संबंध में कोई भी बंटवारा सूट विचाराधीन नहीं रहा है। दो प्रायवेट पक्षकार यदि किसी सरकारी संपत्ति के संबंध में न्यायालय में आपस में मिलकर कोई सूट प्रस्तुत करते है जिसमें म0प्र0 सरकार को पक्षकार नहीं बनाते है और आपस में मिलकर राजीनामा कर लेते है और राजीनामा के अनुसार न्यायालय बंटवारा कर देती है तो उस आदेश से यह नहीं माना जावेगा कि सरकारी संपत्ति आवेदकगण के पूर्वजों के नाम हो गई । किसी भी व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण या उनके पूर्वजों के हित में ग्राम बडोखर के सर्वे क्र0 648, 668, 591 के संबंध में कोई भी डिक्री या कोई भी आदेश नहीं दिया है। इस कारण उक्त तीनों सर्वे नम्बरों की भूमियां नजूल आबादी मिल्कियत सरकार होने से आवेदकगण को नहीं दी जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 414/17 डब्लू.पी.आई.एल पर दर्ज होकर दिनांक 23–1–17 को आयुक्त के यहां अपील करने के लिए 7 दिवस का समय दिया। अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुकम में एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 1 की कण्डिका 18 के अनुकम में कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, उसके अधीन कार्यवाही की गयी। न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग के यहां प्रकरण कमांक 152/16–17 अभ्यावेदन(अपील) पर प्रकरण दर्ज होकर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत दिनांक

03–5–17 को विस्तृत आदेश समस्त तथ्यों का अवलोकन करते हुये एवं रिकार्ड का अवलोकन करते हुये आदेश पारित किया गया है। अनावेदक ने यह भी तर्क दिया कि भूमि सर्वे कमांक 648, 668, 591 को मिसिल बंदोबस्त संवत 1996 में आबादी दर्ज होना लेख किया है जबकि समस्त शासकीय अभिलेख में आबादी नजूल मिल्कियत सरकार अंकित है। आवेदकगण द्वारा नगर पालिका मुरैना में विवादित भूमि आवेदकगणों के पूर्वजों के स्वत्व में दर्ज होना बताया है परन्तु स्वत्व के संबंध में सर्वे कमांक 648, 668 के संबंध में कोई भी दस्तावेज स्वामित्व के सबंध में विकय पत्र या म.प्र. शासन द्वारा या नगर निगम द्वारा उक्त नजूल आबादी मिल्कियत सरकार की भूमि आवेदकगण को या उनके पूर्वजों को दी गयी हो उनके पास स्वामित्व के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो वह उनके द्वारा आज दिनांक तक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल से लेकर इस न्यायालय तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब आवेदकगण के पास ग्राम बडोखर के सर्वे कमांक 648, 668, 591 के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है और राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि नजूल आबादी मिल्कियत सरकार दर्ज है तो क्या कारण रहा कि मिल्कियत सरकार की भूमि पर अनुविभागीय अधिकारी नजूल द्वारा अपने किस अधिकार का उपयोग करते हुये सरकारी भूमि पर आवेदकगकण को नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया। आवेदकगण के पास स्वामित्व के संबंध में या उनके पूर्वजों को उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई भी विकयपत्र हो तो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अपर आयुक्त द्वारा विधिवत आदेश पारित कर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत न कर अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अर्न्गत पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत व्यपवर्तन का बिन्दु विचारणीय है और संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही एवं पारत आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा ग्राम बडोखर स्थित भूमि सर्वे कमांक 648 रकवा 2.006 है0 पर भवन निर्माण हेतु नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 158/13–14/बी–121 दर्ज कर अधीक्षक भू–अभिलेख मुरैना से जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया। अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक नजूल शाखा मुरैना को प्रकरण भेजा। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत जांच कर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन उपरांत न्यायालय पंचम न्यायाधीश मुरैना के प्रकरण कमांक 13/1949 व 10/1963 एवं 24/84 ए0ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 28–7–1989 का हवाला देते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर भवन निर्माण करने हुेत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा साहित प्रतिवेदन अधीक्षक भू–अभिलेख को प्रस्तुत किया गया और अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को की गई है। अतः प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–7–2014 को नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने में किसी प्रकार की अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। इसके पश्चात आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर

अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–7–16 को सर्वे कमांक 648 के स्थान पर 668 रकवा 5904.25 वर्गफीट पढे जाने के आदेश दिये, जो कि मूल आदेश के निरंतर में कार्यवाही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा रिट पिटीशन कमांक 6687/2016 माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायाल द्वारा दिनांक 03–10–16 को आदेश पारित कर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। मान0 उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा दिनांक 20–10–2016 को आदेश पारित कर विधि के प्रावधानों की विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है।

कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध पुनः रिट याचिका कमांक 414/2017 माननीन उच्च न्यायाल को प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्ययालय द्वारा दिनांक 23–1–17 को आदेश पारित करते हुये आयुक्त को अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 03–5–17 से कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण नजूल अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 49 में दिनांक 30–12–2011 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारित नहीं रह गई है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 03–5–2017 निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर